



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082026-275384
CG-DL-E-11082026-275384

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948

No. 655]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 719(अ).— केंद्र सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 28 मई, 2025 की अधिसूचना सा. का. नि. संख्या 344 (असा.) के अधिक्रमण में, एतद्वारा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 (1) (ग) (i) के अंतर्गत डॉ. ए. कौसिगन, भा.प्र.से., विशेष सचिव, पत्तन विभाग, केरल सरकार के स्थान पर डॉ. रतन यू. केलकर, भा.प्र.से., सचिव, पत्तन विभाग, केरल सरकार को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक कोचिन पत्तन प्राधिकरण बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-पार्ट(2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2026

G.S.R. 719(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Authorities Act 2021, and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G. S. R. No. 344(E) dated 28th May, 2025, the Central Government hereby appoints, Dr. Rathan U. Kelkar, IAS, Secretary, Ports Department, Government of Kerala, in place of Dr. A. Kowsigan, IAS, Special Secretary, Ports Department, Government of Kerala, as a representative of State Government on the Board of Cochin Port Authority under section 3(1)(c)(i) of Major Port Authorities Act, 2021 with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.